न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री के.के.शर्मा, आई0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील संख्या :–98/2016/भीलवाड़ा (2016/00090)

1. शंकरलाल पुत्र छोगा, जाति कुमावत, निवासी डांग का खेड़ा (चावण्डिया)तह0 करेड़ा, जिला भीलवाड़ा ।

अपीलांट

बनाम

1. मोहन पुत्र बख्तावर,
2. बस्तीराम पुत्र हजारी,
3. किशना पुत्र बख्तावर,
   समस्त जाति कुमावत, नि0 चावण्डिया, तह0 केकड़ी जिला भीलवाड़ा ।
4. केशर पुत्री बख्तावर पत्नि अम्बालाल कुमावत, नि0 सुरास, तह0 रायपुर जिला भीलवाड़ा ।
5. भंवरी पुत्री बख्तावर पतिन समन्दर, जाति कुमावत, नि0 मटुनिया, तहसील सहाड़ा, जिला भीलवाड़ा ।
6. श्रीमती सोहनी पुत्री बख्तावर पत्नि मोतीलाल जाति कुमावत, नि0 मटुनिया, तहसील सहाड़ा, जिला भीलवाड़ा ।
7. सुवालाल पुत्र उदा (मृतक जरिये वारिसान)
   7/1– मु0 केली देवी बेवा सुवालाल,
   7/2– हीरालाल पुत्र सुवालाल,
   7/3– केसी देवी बेवा सुवालाल,
   समस्त जाति कुमावत, नि0 चावण्डिया, तह0 करेड़ा, जिला भीलवाड़ा ।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, करेड़ा ।

रेस्पोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 विरूद्ध निर्णय विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, माण्डल, जिला भीलवाड़ा दिनांक 15.6.2016 अंतर्गत प्रार्थना पत्र संख्या 654/2014 .

उपस्थितः–

1. श्री मदनलाल गुर्जर, वकील अपीलांट ।
2. श्री वैभव कृष्ण पारीक, वकील रेस्पो0 संख्या 7/1 से 7/3.
3. रेस्पो0 संख्या 1 व 3 अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांक :– 30.7.2018

अपीलांट ने यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, माण्डल, जिला भीलवाड़ा (संक्षेप में अधीनस्थ न्यायालय) द्धारा पारित निर्णय दिनांक 15.6.2016 (संक्षेप में अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की हैं। xx

1- प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 संख्या 1 ने विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, माण्डल के न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राज0भू–राजस्व अधि0 1956 के तहत अपीलांट एवं रेस्पो0 संख्या 2 लगायत 7 के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 एवं रेस्पो0 संख्या 2 लगायत 6 के संयुक्त खातेदारी आधिपत्य की आराजी मौजा चावण्डिया में आराजी खसरा संख्या 2251/909 रकबा 2 बीघा स्थित है जिसमें रेस्पो0 संख्या 1 का 1/7 हिस्सा व तथा रेस्पो0 संख्या 2 का 2/7 हिस्सा, रेस्पो0 संख्या 3 से 5 का 4/7 हिस्सा निहित है । इसी अनुसार पक्षकारान काबिज काश्त है । प्रार्थना पत्र में आगे कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 का विवादित आराजी पर 50 वर्षो से अधिक समय से कब्जा काश्त व दखल चला आ रहा है। विवादित आराजी के दक्षिणी तरफ के पड़ौसी शंकर पुत्र अमरचंद के बाड़े के आगे दक्षिणी और नंगजी पिता बख्तावर कुमावत का बाड़ा व उसके आगे दक्षिण की और रास्ता है । इसी तरह बालू पिता रायमल कुमावत के दक्षिण की और शंकर, भैरू पिता छोगा कुमावत का बाड़ा उसके बाद दक्षिण की और रास्ता है । इसी तरह घीसू, शांति कुमावत के खेत के दक्षिणी तरफ रास्ता है । इसके उपरांत रेस्पो0 संख्या 7 की आराजी संख्या 909/1 अवस्थित चली आ रही है जो पूर्व में इसी अनुरूप राजस्व नक्शे में दर्ज की हुई थी किन्तु हाल ही में पटवारी हल्का एवं गिरदावर ने मनमकसूद तरीके से राजस्व नक्शे में आराजी नंबर 909/1 को गलत स्थान पर तरमीम कर दर्शा दिया तथा रेस्पो0 संख्या 1 की सह–खातेदारी की आराजियात को नक्शे से गलत तरीक से हटा दिया जबकि रेस्पो0 संख्या 6 की आराजियात पूर्व में उक्त स्थल पर अवस्थित नहीं थी । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रेस्पो0 संख्या 6 की हाल आराजी संख्या 909/1 को राजस्व नक्शे में पूर्व की भांति आराजी खसरा संख्या 910 के पश्चिमी तरफ तरमीम कर इंद्राज दुरूस्ती किये जाने के साथ–साथ रेस्पो0 संख्या 1/प्रार्थी के सह–खातेदारी की आराजी संख्या 2251/909 को प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित पड़ौस के मध्य राजस्व नक्शे में तरमीम करने के आदेश प्रदान करावे।

2- अधी0न्याया0 ने निर्णय दिनांक 15.6.2016 द्वारा रेस्पो0 संख्या 1 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर मौके पर कब्जा अनुसार राजस्व नक्शे में तरमीम

किये जाने के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के इस निर्णय से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

3- अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेंट संख्या 2 के उपस्थित होने तथा अधी0न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पोडेंट संख्या 7/1 से 7/3 की बहस सुनी गई । xx

4- विद्वान वकील अपीलांट ने अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 ने तीनों प्रार्थना पत्रों में दर्शाये कथनों को नहीं समझा तथा पूर्व में तैयार पर्चा मौके व वर्तमान में तैयार पर्चा मौका में भी भारी विरोधाभास होने से वर्तमान पर्चा मौका के आधार पर निर्णय पारित करने में त्रुटि कारित की है । अधी0न्याया0 ने प्रार्थना पत्र जल्दबाजी में बिना प्रार्थी को नोटिस दिये राजस्व लोक अदालत कैम्प चावण्डिया में नियत कर निर्णय पारित किया है जो न्याय के सहज एवं प्राकृतिक सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 के पास मौके पर कब्जा अधिक रकबे पर है । आराजी खसरा संख्या 909 में विभिन्न व्यक्तियों को भूमि आवंटन की गई थी । आवंटन के पश्चात् आवंटियों को हल्का पटावरी द्वारा भूमि सुपुर्द की जाकर मूल आवंटन मिसल में नक्शा ट्रेस की प्रति संलग्न की गई है । सुपुर्दगीनामे के अनुसार आवंटी मौके पर काबिज होने पर उसका जमाबंदी में तो अंकन कर दिया गया किन्तु राजस्व नक्शा ट्रेस में सुपुर्दगीनामे के मुताबिक तरमीम नही की जाकर अशुद्ध अंकन कर दिया गया जिसकी पुष्टि तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत पर्चे से भी हाती है इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने अभिकथनों को नजरअंदाज कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा प्रार्थना पत्र में गलत पड़ौस दर्शाये गये है । दक्षिण दिशा में बालू पुत्र राजमल का बाड़ा नहीं होकर 1 बीघा भूमि है जो छोगा पुत्र उदा कुमावत को आवंटन हुई थी जिसका खसरा संख्या 909/1 रकबा 2 बीघा 14 बिसवा है जिसमें से आवंटी ने 1 बीघा भूमि का विक्रय रायमल पुत्र उदा को विक्रय किया है जिसके बढ़ते हुए आराजी संख्या 2330/909 है एवं शेष बची भूमि खसरा नंबर 2208/909 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा वर्तामन में शंकरलाल, भैरूलाल पिता छोगा के नाम पर दर्ज है जो कि छोगा पिता उदा की विरासत से दर्ज हुए है । रेस्पो0 संख्या 1 को आवंटन सन् 1983 में हुआ है इसलिये 50 वर्षो से कब्जा होने का प्रश्न ही नहीं है । आराजी संख्या 909/1 रेस्पो0 संख्या 6 की तरमीम बतायी गई है किन्तु नक्शा ट्रेस संलग्न नहीं है एवं जो नक्शा फौजदारी मामले में लगाया गया है वह फर्जी है । छोगा पुत्र उदा को आराजी संख्या 909/1 के 2 बीघा 14 बिस्वा भूमि आवंटन हुई थी । आराजी संख्या 909 में से 2 बीघा 14 बिस्वा के आवंटन होने पर मौके पर सुवालाल पुत्र उदा कुमावत की मौजूदगी में ही सुपुर्द की गई थी एवं सुपुर्दगीनामे पर सुवालाल के हस्ताक्षर है । रेस्पो0 संख्या 1 मोहन पिता बख्तावर कुमावत मौके पर आवंटित भूमि पर नहीं बैठा हुआ है ।

विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि पटवारी हल्का व गिरदावर ने मौका पर्चा तैयार कर उक्त आराजी को सुपुर्दगीनामे व मौके पर कब्जे अनुसार वर्तमान राजस्व नक्शा ट्रेस में तरमीम कर दी किन्तु गलती से राजस्व नक्शा ट्रेस में हाल जमाबंदी के नंबर दर्ज नहीं कर आवंटन के समय के आराजी नंबर 909/1 दर्ज कर दिये जबकि अपीलांट के आराजी संख्या 2208/909 है जिसके उत्तर दिशा में आराजी संख्या 2330/909 रकबा 1 बीघा शांतिदेवी कुमावत के नाम पर है एवं दक्षिण दिशा का हिस्सा रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा भूमि जिसके आराजी संख्या 2208/909 है जो कि शंकरलाल अपीलांट के नाम पर दर्ज होकर वे काबिज है एवं इसी अनुसार राजस्व नक्शे में तरमीम किया जाना चाहिये था किन्तु गिरदावरी व पटवारी हल्का ने त्रुटिवश आवंटन के समय के नंबर नक्शा ट्रेस में अंकित कर दिये । अधी0न्या0 ने प्रकरण को समझे बिना मौका रिपोर्ट के आधार पर निर्णय पारित किया है जो निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय निरस्त किया जावे तथा आराजी संख्या 2208/909 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा को वर्तमान राजस्व नक्शा ट्रेस में जहां पर सुपुर्दगीनामा दिया गया तथा जहां आवंटी काबिज है उसी जगह वर्तमान राजस्व नक्शा में तरमीम किये जाने एवं आराजी संख्या 909/1 को डिलीट किये जाने के आदेश प्रदान करावे ।

5- विद्वान वकील रेस्पोडेट संख्या 2/1 से 2/3 ने जवाब बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय विधिसम्मत् है । अपीलांट द्वारा चाहा गया अनुतोष अधी0न्याया0 द्वारा दिया जा चुका है । अतः अपील अपीलांट अपास्त की जावे ।

6- हमनें उभयपक्ष अभिभाषगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं आधार अभिलखों, अधी0न्याया0 के निर्णय का अवलोकन किया । अधी0न्याया0 ने प्रकरण को निर्णित करने से पूर्व तहसीलदार, करेड़ा से मौका रिपोर्ट प्राप्त की है । तहसीलदार, करेड़ा ने मौका रिपोर्ट दिनांक 18.7.2015 में अंकित किया है कि मौके पर काश्तकारों का कब्जा पाया गया जो आवंटन तिथि व बेचान की तिथि से काबिज होकर काश्त कर रहे है । मूल आराजी संख्या 909 गै0मु0 आबादी में शंकर पुत्र अमरा कुमावत, बालू पुत्र रायमल, नंगजी पुत्र बगतावर कौम कुमावत के बाड़े है जो पत्थर कोट व पक्की दीवार से बना रखे है । मौके पर उक्त आराजियात में नजरी नक्शा अनुसार खेतों में जाने के रास्ते व आम रास्ता कायम होकर चालू है । रास्ते होने के कारण सभी काबिज काश्तकारों का रकबा जमाबंदी रिकार्ड के मुकाबले कम है । इस आराजी में सुवालाल पुत्र उदा का कब्जा आवंटियों से पूर्व का है जो नियमन से सुवालाल पुत्र उदा के नाम दर्ज हुआ है । सभी आवंटित काश्तकार कब्जा अनुसार मौके पर आवंटन की तिथि से काबिज है ।

7- तहसीलदार, करेड़ा की उक्त रिपोर्ट से स्पष्ट है कि आवंटन के पश्चात् आवंटी मौके पर काबिज होने पर उनकी आवंटित भूमि का जमाबंदी में तो अंकन कर दिया किन्तु राजस्व नक्शा ट्रेस में सुपुर्दगीनामे के मुताबिक तरमीम नहीं की जाकर अशुद्ध अंकन किया गया था । तहसीलदार ने उक्त

रिपोर्ट के साथ नजरी नक्शा भी प्रस्तुत किया था जिसका अधी0न्याया0 ने रिकार्ड एवं मौके का तुलनात्मक परीक्षण उपरांत नजरी नक्शे अनुसार तरमीम किये जाने के आदेश प्रदान किये है । अपीलांट दस्तावेजी साक्ष्यों से यह साबित नहीं कर पाये है कि अधी0न्याया0 के निर्णय में क्या त्रुटि रही है तथा अपीलांट क्या अनुतोष चाहता है अपील मीमों में स्पष्ट नहीं किया है तथा ना ही दस्तावेजी साक्ष्य वगैरहा उपलब्ध है । अपीलांट दस्तावेजी साक्ष्यों से अपील को साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है ।

8- अतः उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट अपास्त योग्य एवं अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है ।

–:क्रियात्मक आदेशः–

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील संख्या 98/2016 (2016/00090) बउनवानी शंकरलाल बनाम मोहन को अपास्त किया जाता है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, माण्डल जिला भीलवाड़ा द्वारा प्रा0पत्र संख्या 654/2014 बउनवान मोहन बनाम बस्तीराम में पारित निर्णय दिनांक 15.6.2016 को यथावत् रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

आदेश आज दिनांक 30.7.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर